भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2016
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

'हो' भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

2016. श्रीमती जोबा माझी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 'हो' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त भाषा को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को उक्त प्रयोजनार्थ ओडिशा और झारखंड सरकारों से अनुशंसा प्राप्त हुई है, क्योंकि 'हो' समुदाय के लोग कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): 'हो' सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2016, दिनांक 11.03.2025

अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

*****